# महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांकः 6860/कु0का0/2025 दिनांकः 25/7/25

## आवश्यक सुचना

विश्वविद्यालय के छात्रावास आवंटन हेतु इच्छुक छात्र–छात्राओं को छात्रावास आवंटन हेतु संलग्न आवेदन पत्र पूरित करते हुए संबंन्धित छात्रावास प्रभारी को दिनांक–05.08.2025 को सायं 5 बजे तक हार्ड कॉपी जमा करना होगा। तत्पश्चात आवंटन की सूचना पर निर्धारित शुल्क रू0 7100 मात्र प्रति सेमेस्टर (सुरक्षा जमा शुल्क रू0 1500 मात्र एक बार जमा करना होगा जो छात्रावास खाली करने पर वापस कर दिया जाएगा) जमा करने पर छात्रावास आवंटित किया जाएगा।

**संलग्नक यथोपरीः**

25.07.25

(विशेश्वर प्रसाद)
कुलसचिव

**प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3 .उप कुलसचिव।
3. सहायक कुलसचिव।
4. छात्रावास प्रभारी (महिला एवं पुरूष) इस आश्य से की आवेदन फार्म विद्यार्थीयों को आवंटन के बाद प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
5. सम्बन्धित व्यक्ति/सम्बन्धित पत्रावली।

**कुलसचिव**

# महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

फ़ोटो

शिवाजी महाराज पुरुष छात्रावास / महारानी अहिल्याबाई होलकर महिला छात्रावास

छात्रावास आवंटन हेतु आवेदन-पत्र

सत्र 2025 – 20........ आवेदन पत्र संख्या:

1. नाम: ______________________________
2. पिता का नाम:______________________________
3. कक्षा:____________________संकाय/विभाग:________________
4. स्थानीय अभिभावक का नाम ______________________________
5. स्थानीय अभिभावक का मोबाइल नंबर______________________________
6. स्थानीय अभिभावक का पता______________________________
7. स्थाई पता______________________________
8. वर्तमान पता______________________________
9. ईमेल पता: ______________________________
10. मोबाइल नंबर: ______________________________

**नोट:** आवेदन पत्र के साथ प्रवेश शुल्क जमा की रसीद, एक फोटो, आधार कार्ड, पिछली कक्षा का अंकपत्र की छायाप्रति संलग्न करें। छात्रावास के लिए चयनित छात्र/छात्रा समर्थ पोर्टल के माध्यम से छात्रावास के लिए निर्धारित शुल्क जमा करेंगे, तभी आवेदन-प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी |

आवेदक के हस्ताक्षर

## शपथ-पत्र

मैं ______________________________ विभाग/ कक्षा______________ यह आश्वस्त करता हूं कि मैने छात्रावास नियमावली को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है। मेरे द्वारा प्रदान की गई सभी सूचना सही है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा अनुशासन हीनता में लिप्त पाए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा जो दंड निर्धारित किया जाता है मै उसे पालन करूंगा।

दिनांक____________________ हस्ताक्षर ____________________

मोबाइल नंबर____________________ आधार नंबर ____________________

## छात्रावास प्रभारी की संस्तुति

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर से स्थाई निवास की दूरी_____ km

आवंटित छात्रावास: ________________________________________

आवंटित कक्ष संख्या: ________________________________________

छात्रावास शुल्क ________________________________________

आवंटन की तिथि से: ________________________________________

आवंटन की तिथि तक: ____________________ आवंटित किए जाने की संस्तुति की जाती है।

(छात्रावास प्रभारी के हस्ताक्षर) (प्रशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर)

छात्रावास हेतु नियम एवं शर्तें:

- छात्रावास में प्रवेश हेतु निर्धारित समय पर छात्रावास आवंटन हेतु छात्रावास की शुल्क जमा करनी होगी।
- प्रत्येक छात्रावासी को नियमित रूप से छात्रावास नियमावली का पालन करना होगा (जो कि वि०वि० की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है)।
- छात्रावास परिसर में लगे किसी भी उपकरण/संपत्ति के साथ छेड़ छाड़ करना अनुशासन हीनता की श्रेणी में आएगा। इस स्थिति में वह छात्रावासी अर्थ दंड का भागीदार होगा।
- छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार की अनावश्यक मीटिंग, हुड़दंग, नारेबाजी अथवा मारपीट करते पाए जाने पर लिप्त छात्रावासी को तुरंत छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
- रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक छात्रावास से बाहर रहने हेतु छात्रावासी को पहले छात्रावास प्रभारी को लिखित रूप में सूचना देनी होगी।
- मेस अथवा कैंटीन को सुचारू रूप से चलाने में सभी छात्रावासी सहयोग करेंगे।
- छात्रावास के द्वारा दी गई बिजली की सुविधा का गलत उपयोग, इंडक्शन, हीटर या किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक मशीन का छात्रावास के प्रांगण में उपयोग नहीं किया जाएगा।
- किसी भी बाहरी आगंतुक अथवा पार्सल डिलीवरी ब्वॉय को छात्रावास परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उन्हें केवल छात्रावास के मुख्य द्वार तक ही आने की अनुमति होगी।
- छात्रावास से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी/ शिकायत के लिए सर्वप्रथम छात्रावास प्रभारी से संपर्क करना अनिवार्य होगा।
- छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ जैसे गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, शराब, ड्रग्स इत्यादि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई छात्रावासी इन गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे तत्काल छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।
- छात्रावास में आवंटन के नियमानुसार, छात्रावास केवल उन्हीं को आवंटित किया जाएगा जिनका स्थाई पता विश्वविद्यालय (मुख्य परिसर से 40 km पुरुष छात्रावास के लिए तथा महिला छात्रावास के लिए 30 km) से दूर होगा।
- प्रत्येक विषय/विभाग में आरक्षित सीट से ज्यादा आवेदन फॉर्म आने की स्थिति में पूर्व कक्षा की मेरिट के अनुसार आवंटन किया जायेगा।
- महिला छात्रावास में कोई पुरुष या बाहरी व्यक्ति तथा पुरुष छात्रावास में कोई महिला या बाहरी व्यक्ति का प्रभारी की अनुमति के बिना प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।
- छात्रावासी छात्रावास के निगमीय जीवन के विकास में हिस्सा लेंगे एवं सहयोग प्रदान करेगें।

25.07.25

कुलसचिव
महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय
आजमगढ़

- प्रत्येक अध्यासित छात्रावासी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने कक्ष की सामान्य रख--रखाव एवं सफाई रखे। कक्ष के किसी भी फर्नीचर अथवा फिटिंग के नुकसान होने पर उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और नुकसान होने की दशा में मरम्मत का खर्च उसे वहन करना होगा। इसके अतिरिक्त नियमों के अन्तर्गत उसपर अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।
- यदि कोई छात्र/छात्रा छात्रावास खाली करता है एवं अपने कक्ष से सम्बन्धित फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियाँ जो उसे निर्गत की गयी थी, अच्छी दशा में वापस नहीं करता है तो ऐसे किसी भी नुकसान के लिए उसे दोगुना हर्जाना देना होगा यह धनराशि उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि से काट ली जायेगी।
- छात्रावास के बिजली, पानी अथवा किसी अन्य फिटिंग के नुकसान होने पर उस नुकसान की भरपाई छात्रावासियों से सामूहिक रूप से प्राप्त की जायेगी, यदि किसी एक छात्र/छात्रा की जिम्मेदारी उस नुकसान के प्रति नहीं स्थापित हो पाती है।
- छात्रावासियों के द्वारा पंखा एवं बल्ब जिसके प्रयोग के लिए इन अध्यादेशों के अन्तर्गत निर्धारित फीस देय होगी को छोड़कर किसी अन्य बिजली के उपकरण का उपयोग नहीं किया जायेगा। बिजली के हीटर के प्रयोग हेतु किसी भी दशा में अनुमति नहीं है। ऐसे अध्यासी जो कि बिजली का हीटर अथवा अन्य बिजली का उपकरण प्रयोग करते है, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- यदि कोई छात्रावासी एक अथवा अधिक रात्रि के लिए छात्रावास से बाहर जाना चाहता है तो उसे अभिरक्षक/अधीक्षक की लिखित अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर उस पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- छात्रावास आवंटन के उपरान्त कोई भी छात्रावासी अभिरक्षक की अनुमति के बिना अन्यत्र स्थान पर नहीं निवास कर सकता है।
- छात्रों के ताला बन्द अथवा खाली कक्षों में यदि लाईट जलती हुई पायी गयी तो तो छात्रावासी से दस रूपया प्रतिदिन की दर से दण्ड लगाया जायेगा।
- छात्रावासियों से यह अपेक्षित है कि वह अपने कक्षों को बाहर जाते समय सुरक्षा की दृष्टि से बन्द रखेगे। वह किसी भी प्रकार की मूल्यवान वस्तुओं को अपने जोखिम पर कक्ष में रखेगा। किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना अधीक्षक को दी जायेगी जो कि आवश्यकतानुसार मामलों की जांच करेंगे और अभिरक्षक को सूचित करेगें। परन्तु किसी भी दशा में छात्रों को हुए नुकसान की जिम्मेदारी छात्रावास प्रशासन की नहीं होगी।
- छात्रावासियों को किसी भी दशा में छात्रावास के सेवक/कर्मचारियों से व्यक्तिगत कार्य लेने की अनुमति नहीं होगी। हड़ताल के दौरान उनके साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और उनके विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। इस नियम के उल्लंघन हेतु कोई भी बचाव नही प्राप्त हो सकेगा। छात्रावास के समस्त सेवकों/कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतें अधीक्षक के संज्ञान में लानी होंगी जो कि आवश्यकतानुसार मामले की जांचकर आवश्यक कार्यवाही अथवा दण्ड हेतु अभिरक्षक को सूचित करेगें।
- सभी छात्रावासियों की रात्रि 10:00 बजे अनिवार्य सामूहिक सभा आयोजित की जाएगी जिसमें सभी छात्रावासियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति पुकार के उपरान्त यदि किसी

25.07.24

कुलसचिव
महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय
आजमगढ़

छात्रावासी को किसी कार्यवश छात्रावास के बाहर जाना पड़ता है तो वह इसकी लिखित अनुमति अधीक्षक से लेने के उपरान्त ही जायेगा।

- प्रत्येक छात्रावासों के मुख्य गेट पर रात्रि 10.00 बजे ताला लगा दिया जायेगा।
- छात्रावास आवंटन क्रमवार किये जायेगें।
- ग्रीष्मावकाश के समय छात्रावास में मरम्मत कार्य किये जायेगें।
- बिना अभिरक्षक अथवा अधीक्षक के अनुमति के विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र अथवा छात्रा, खाली किये जाने के आदेश के बावजूद भी कक्ष को अकेले अथवा संयुक्त रूप से धारित करता है अथवा कब्जे पर बना रहता है, तो उस दशा में वह दुराचरण के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन होगा तथा उसे रू0 100.00 प्रतिदिन के दर से किराया भी देय होगा। उपुर्यक्त प्रस्तावित शुल्क वित्त समिति में रखने का निश्चय किया गया।
- मेस शुल्क विश्वविद्यालय के मेस टेंडर द्वारा निर्धारित देय होगा।
- छात्रावास आवंटन केवल एक सत्र के लिए ही वैध होगा। समस्त छात्रावास **30 मई** तक खाली करा दिया जायेगा।
- यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो उस पर आवंटन की प्राथमिकता उसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र–छात्रा को दि जायेगी।

**प्रत्येक छात्र** को जिसे छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा निम्नलिखित शुल्क देय होंगे

**छात्रावास शुल्क**

क–सुरक्षा जमा (रिफण्डेबुल) 1500/–

ख–सामाजिक क्रियाकलाप शुल्क प्रति सत्र (नान रिफण्डेबुल) 500/–

ग–रख–रखाव शुल्क प्रति छात्रावासी, प्रति सत्र 300/–

घ–रूम रेट प्रति सत्र प्रति छात्र सीटेड 3600/

ङ–विद्युत शुल्क–पंखा एवं वल्ब के लिए प्रति छात्र प्रति सत्र 1200/–

योग = 7100/-

–अतिथि* शुल्क प्रति दिन प्रति अतिथि 200/–

**नोट: अतिथि का तात्पर्य छात्रावासी के माता-पिता अथवा रक्त संबंधी से है।**

25-07-25

कुलसचिव
महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय
आजमगढ़

# महिला छात्रावासियों हेतु नियमावली

इस नियमावली के नियम में वर्णित शर्त के अतिरिक्त कोई भी छात्रावासी अभिरक्षिका की अनुमति के बिना छात्रावास से अनुपस्थित नहीं रहेगी।

1–जो भी छात्रावासी अपने रिश्तेदारों अथवा मित्रों के यहाँ जाना चाहती है उसे अभिरक्षिका से अनुमति लेनी होगी। यहाँ तक कि छुट्टियों में भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

2–यदि किसी छात्रावासी को छात्रावास से सायं 7.00 बजे के बाद भी किसी कार्यवश बाहर रहना पड़ता है जो तो उसे अभिरक्षिका से अनुमति लेनी होगी और अभिरक्षिका द्वारा निर्धारित रजिस्टर पर यह इंगित करना होगा कि उसे कहाँ जाना है और वह अनुमति पत्र में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत, वापस लौट आयेगी।

3–अधीक्षिका के द्वारा सन्तुष्ट होने पर छात्रावासियों को तीन अथवा अधिक के समूहों में बाजार अथवा अन्य कार्यों हेतु बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

4–जो छात्रावासी अपना सप्तांहात छात्रावास के बाहर व्यतीत करना चाहती है उन्हें उक्त आशय से अपने माता–पिता अथवा संरक्षक का अधिकृत पत्र अनुमति हेतु अभिरक्षिका को प्रस्तुत करना होगा तथा अधिकृत पत्र में वर्णित व्यक्तियों के घर ही छात्रावासियों को जाने की अनुमति होगी।

5–छात्रावास में पुरुष आगन्तुकों को शरद ऋतु में सायं 4.30 से 6.30 बजे तक एवं ग्रीष्म ऋतु में सायं 5.00 से 7:00 बजे तक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को ही मिलने की अनुमति होगी।

जिन भी छात्रावासियों को आगन्तुकों से मिलने की अपेक्षा है उन्हें अपने माता–पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी इसका रिकार्ड अभिरक्षिका द्वारा फाइल किया जायेगा और केवल उन्हीं आगन्तुकों से उन्हें मिलने की अनुमति होगी। पुरुष आगन्तुक किसी भी दशा में छात्राओं के कमरे तक नहीं जा सकते हैं उन्हें केवल वार्डन कार्यालय में मिलने की अनुमति होगी।

6–अन्य सभी मामलों के लिए इस अध्यादेश में वर्णित सभी नियम महिला छात्रावासियों पर भी लागू होंगे।

25.07.25

कुलसचिव
महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय
आजमगढ़

# महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

| पाठ्यक्रम | पुरुष छात्रावास में आवंटित सीटों की संख्या | महिला छात्रावास में आवंटित सीटों की संख्या |
|---|---|---|
| BE (CS, DS, AIML) | 18 | 12 |
| BBA | 05 | 03 |
| BCA | 06 | 04 |
| BFA | 06 | 04 |
| BA | 22 | 16 |
| B.Sc. | 22 | 16 |
| B. Com | 11 | 08 |
| MA | 29 | 21 |
| M.Com | 03 | 02 |
| M.Sc. | 24 | 18 |
| LL.M. | 03 | 02 |
| MA Journ. | 03 | 02 |
| MBA(ABM+HTM) | 04 | 03 |
| कुल | **156** | **111** |

नोटः

1. दोनों छात्रावास में दिव्यांग (PWD) छात्रों के लिए सीटें आरक्षित है।

2. यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या उपरोक्त तालिका में निर्दिष्ट सीटों से अधिक होती है, तो सीट आवंटन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

3. जिन छात्रों एवं छात्राओं का स्थायी निवास विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से निर्धारित परिधि (छात्रों के लिए 40 किलोमीटर एवं छात्राओं के लिए 30 किलोमीटर) के भीतर है, उन्हें छात्रावास के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

25.02.25
कुलसचिव
महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय
आजमगढ़